

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)  
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 14 / 2023

GCMS NO. : 2023 / 69

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

श्री आसीफ इकबाल निवासी ई-163,  
स्ट्रीट नं. 3, वेस्ट विनोद नगर, बनाम  
दिल्ली-11092 (मो0नं0 7669078683)

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005


दिनांक :- 27-09-2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 19-07-2023 (पोस्टल ऑर्डर नं. 57 एफ 544117) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 14-09-2023 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 27-09-2023 को अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने पत्रांक 40(1) आरटीआई/ 2023/ 263 दिनांक 18-09-2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना पेश कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 19-07-2023 से वांछित




  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 40(1)(2) ए.डी.एम./ आर.टी.आई/ 2023/255 दिनांक 23-08-2023 से जरिये डाक एवं ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गई है। अपील अपीलांत निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। अपील अनुसार अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत दिनांक 19-07-2023 पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह अपील पेश किया जाना जाहिर किया जबकि अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा के पत्रांक 40(1)(2) ए.डी.एम./ आर.टी.आई/ 2023/255 दिनांक 23-08-2023 से वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये डाक से एवं दिनांक 12-09-2023 को जरिये ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-09-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)